

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - ११० / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, २३/०९/ 2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद- बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर से छतीना मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.945 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/142498/2021।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 55/FP/UK/ROAD/142498/2021 दिनांक 06.07.2022।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 4506/12-1 (2) दिनांक 12.05.2023 द्वारा सूचित किया है। जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय



(पी०के० पात्रो)

मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com

दूरभाष एवं फैंक्स नं०: 05963-220249 वन मित्र काल सेटर- 9208008000

पत्रांक
सेवा में,

4506 / 121-2

बागेश्वर

दिनांक : 12/05 / 2023

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय -

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर से छतीना तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.945 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-142498/2021)

सन्दर्भ-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 55/FP/ROAD/142498/2021 दिनांक 06 जुलाई 2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है, कि उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तियां लगायी गयी है प्रस्तावक विभाग द्वारा बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्ताव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु सं० 1	प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट-1, A(iii) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित नहीं किया गया है। प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट-1, A(iii) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में सभी प्रपत्रों को मूल प्रति में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि प्रस्ताव में सभी प्रपत्रों को मूल प्रति में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
3	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1,2 व 3 को प्रस्ताव में क्रमवार संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1,2 व 3 को प्रस्ताव में क्रमवार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
4	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु श्री नवल किशोर द्विवेदी, सहायक अभियन्ता को अधिकृत किया गया है, इसके अतिरिक्त उक्त हेतु प्रस्ताव में संलग्न Authority Letter में कृष्ण कुमार तिलारा, अधिशासी अभियन्ता को भी अधिकृत किया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि अधिकारियों के स्थानान्तरण हो जाने के कारण परिवेश पोर्टल पर वर्तमान अधिकारी के नाम Authority Letter अपलोड करने पर सभी प्रस्तावों हेतु एक ही अधिकारी का नाम दिखई देने के कारण ऑन लाईन एवं हॉर्ड कापी में अधिकृत अधिकारियों के Authority Letter में अन्तर आ जाता है। अतः परिवेश पोर्टल पर संशोधित करना आवश्यक है। जो उच्च स्तर से किया जाना है।
5	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में

		संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
6	प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना 7 मीटर एवं 9 मीटर ROW में अलग-अलग करते हुये कुल प्रभावित पेड़ों की व्यासवार सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना 7 मीटर एवं 9 मीटर ROW में अलग-अलग करते हुए प्रभावित होने वाले कुल पेड़ों की व्यासवार सूची पृथक-पृथक से ऑनलाईन पार्ट-02 के अतिरिक्त जानकारी में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
7	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र-22 बांज वृक्षों के पातन के प्रमाण-पत्र में सम्बन्धित वन संरक्षण के हस्ताक्षर अपेक्षित है।	उक्त बिन्दु पर कार्यवाही आपके स्तर से की जानी है।
8	प्रस्ताव में एन0पी0वी0 आंकलन नई दरों के अनुसार आंकलित कर संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव में एन0पी0वी0 आंकलन की नई दरों से आंकलित प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
9	लाभान्वित होने वाले ग्रामों की वर्तमान समरेखण एवं वैकल्पिक समरेखण से दूरी प्रस्ताव में अंकित करें।	लाभान्वित होने वाले ग्रामों की वर्तमान समरेखण एवं वैकल्पिक समरेखण से दूरी प्रस्ताव में अंकित कर दिया गया है।
10	प्रस्ताव के प्रपत्र-16 में परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई के प्रमाण-पत्र में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं किये गये हैं।	प्रस्ताव में प्रपत्र-16 में परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई में प्रमाण-पत्र भारत सरकार के निर्देशानुसार उक्त सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाती है, जिसमें प्रयोक्ता एजेन्सी के ही हस्ताक्षर होते हैं।
11	प्रस्ताव में संलग्न लैण्ड शेड्यूल प्रपत्र-15.1, 15.2 एवं 15.3 में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है।	भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रस्ताव में संलग्न लैण्ड शेड्यूल प्रपत्र-15.1, 15.2 एवं 15.3 में राजस्व विभाग से सम्बन्धित होने के कारण प्रयोक्ता एजेन्सी एवं राजस्व विभाग द्वारा ही हस्ताक्षर किये जाते हैं। जबकि प्रपत्र-15 में वन विभाग से सम्बन्धित होने के कारण प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर कर प्रेषित किये जाते हैं। अतः प्रपत्र-15 में प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रपत्र-15.1, 15.2 एवं 15.3 में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के हस्ताक्षर कर प्रस्ताव की प्रतिपूर्ति की जाती है।
12	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या मूल प्रति में प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या मूल प्रति में प्रस्ताव में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न- 04 प्रति में।

भवदीय,

(हिमांशु बागरी)

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर